XXX-Part.—21

107/20
23/6/2020

रूप क्रमांक २
(देखिये नियम ७)

शुल्क रुपये 180/- चालान न./रसीद 24809
दिनांक 30.5.20 द्वारा पटाया गया है। मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है।
जारी होने की दिनांक 23/6/20

प्रतिलिपिक के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश शासन

असि. रजिस्ट्रार
ASST. REGISTRAR
BHOPAL
SOCIETIES
फर्म्स एवं संस्थाएं भोपाल

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक/बी.डी.सं./ 5239/97

यह प्रमाणित किया जाता है कि किसान एवं कृषि विकास परिषद

समिति जो 129 भरत नगर शाहपुरा भोपाल म.प्र., तहसील हुजूर,

जिला भोपाल में स्थित है, मध्यप्रदेश

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४)

के अधीन 20.10.97 को पंजीयित की गई है।

दिनांक 20 माह 10 सन् १९९7

पंजीयक संस्थायें

मुद्रा

23.06.2020

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

(शरद चन्द्र तिवारी)
समितियों के रजिस्ट्रार

Scanned with OKEN Scanner

(22)

107/20
23/6/2020

नियमावली (संशोधित)

1. समिति का नाम : ''किसान एवं कृषि विकास परिषद''

2. समिति का कार्यालय : ई 8/23 रेलवे हाउसिंग सोसायटी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।

4. समिति के उद्देश्य :-

1. कृषकों की कृषि उत्पादन लागत में कमी के सुझाव प्रदान करना।
2. कृषकों की फसलों का उचित मूल्य निर्धारण कराना।
3. शंकिरित शुद्ध बीजो की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रयास करना।
4. किसानों का अंध विश्वास निराकरण एवं शिक्षा के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाएं संचालित करना।
5. किसानों में नशा मुक्ति एवं पर्यावरण सुधार को विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करने हेतु प्रशिक्षण देना।
6. विभिन्न समुन्नत माध्यमों द्वारा शिक्षा का प्रचार–प्रसार, शिक्षण संस्था की स्थापना एवं इसका संचालन करना।
7. पुस्तकालय, वाचनालय, खेलकूद, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास, लेब्रोटरी (प्रयोगशाला) की स्थापना एवं इसका संचालन करना।
8. शिक्षा एवं तकनीकी क्षेत्र के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं इसका संचालन करना।
9. छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर एवं व्यवसायिक शिक्षा का आयोजन एवं संचालन करना।
10. जरूरतमंद, गरीब बालकों को आवश्यक सहायता एवं सहयोग करना।
11. कला साहित्य, विज्ञान, संगीत, तथा सांस्कृतिक अभिरूचि, तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करना।
12. असहाय, वृद्धों, महिलाओं, बच्चों, विकलांग हेतु शिक्षा एवं अन्य आवश्यक सहायता एवं सहयोग करना।
13. प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़ महामारी, बीमारी, रोग, भूकंप से पीड़ित लोगों के लिये समाज के कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन करना।
14. नशामुक्ति, व्यसन मुक्ति का प्रचार–प्रसार एवं जन चेतना का विकास करना तथा विभिन्न प्रकार से चिकित्सा सुविधायें एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य शिक्षा आदि का संचालन करना।
15. विभिन्न समुन्नत माध्यमों द्वारा समाज कल्याण के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, संवर्धन सहयोग एवं शोध करना।

5. **सदस्यता:**- संस्था के निम्नांकित श्रेणी के सदस्य होंगे-

(अ) संरक्षक सदस्य:-संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में 20,000/- (बीस हजार) या अधिक एक मुश्त या साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

...5239/97
...29/12/97
...26/5/03
रजिस्ट्रार

ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

(23)

(ब) **आजीवन सदस्य:** - जो व्यक्ति दान के रूप में 10,000/- (दस हजार) या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य 10,000/- (दस हजार) या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) **साधारण सदस्य:** - जो व्यक्ति 120/- रूपये प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य उस अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोष जनक कारणों के छःमाह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) **सम्मानीय सदस्य:** - संस्था की प्रबन्धकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझें सम्मानीय सदस्य बना सकती हैं ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत दने का अधिकार न होगा।

6 **सदस्यता की प्राप्तिः**

प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक है लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन-पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. **सदस्यों की योग्यताः**

संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:-

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो

(2) भारतीय नागरिक हो।

(3) समिति के नियमों का पालन की प्रतिज्ञा करता हो

(4) सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. **सदस्यता की समाप्तिः**

संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी।

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल हो जाने पर।
3. संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में वताये अनुसार जमा न करने पर।
4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5. चरित्रक दोष होने पर।
6. कार्यकारिणी समिति के निर्णय अनुसार निकाल दिए जाने पर इसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्यो को लिखित रूप में देनी होगी।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

(२५)

9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जायेगी जिसमें निम्न ब्यौरे रखे जायेगे:

1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता व व्यवसाय।
2. वह तारीख जिस दिन सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.
3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।

5239/97
29/10/97
26/5/03

10. (अ) **साधारण सभा:** साधारण सभा में नियम क्र. 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक की माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) **प्रबंधकारिणी सभा:** प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना अनिवार्य होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुन: की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

(स) **विशेष:** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्य द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प के प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य:**

(क) संस्था के पिछले वर्ष वार्षिक विवरण एवं प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पति की ठीक व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करना।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये हो।
(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
(छ) बजट का अनुमोदन करना।

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज
ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES
BHOPAL

12. **प्रबन्धकारिणी का गठन:** ट्रस्टीज यदि कोई हो तो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 के (अ.व.स.) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति क सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) संयुक्त सचिव (5) कोषाध्यक्ष एवं सदस्य

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल:** प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 3 (तीन) वर्ष का होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

(25)

14. प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्त्तव्य :

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है, उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) गत वर्ष के आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परिक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उनके अधीन संचालित केन्द्रों के कर्मचारियों के मानदेय, वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल अचल सम्पति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाये।

(च) संस्था की समस्त चल अचल संपति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरिम नहीं की जाएगी।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर, संस्था के विधान में संशोधन किए जाने वाले प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधन पारित होने पर प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. अध्यक्ष के अधिकार -

अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा उनके मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा। अध्यक्ष को किसी कार्य के लिये एक समय में 10,000/- (दस हजार) रुपये तक खर्च करने का अधिकार होगा। यह खर्चे कार्यकारिणी सभा द्वारा समायोजित किये जायेंगे।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार :-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेंगे।

17. सचिव (मंत्री) के अधिकार

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय समय पर बुलाना तथा समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों, प्रस्तुत करना।

(2) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) तक खर्च करने का अधिकार होगा। यह खर्च कार्यकारिणी सभा द्वारा समायोजित किये जावेंगे।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

(26)

18. संयुक्त सचिव के अधिकार- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य संभालेंगे।

19. कोषाध्यक्ष के अधिकार- समिति के धनराशि का पूर्ण, हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

20. बैंक खाता:- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 5000/- (पांच हजार रूपये) रहेंगे।

5239/97
20/11/97
26/5/03

21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी-

अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी।

22. संशोधन-

संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यो के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं का होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

23. विघटन-

संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उसकी समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों में जावेगी।

24 सम्पत्ति-

संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्था की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी। भवन निर्माण के संबंध में संपत्ति का बंधक वित्तीय संस्था से ऋण प्रक्रिया निष्पादित करने का अधिकार कार्यकारिणी सभा एवं साधारण सभा के अनुमोदन से होगा।

25. बैंक खाता-

संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खोली जावेगी एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

26. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना-

संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक में ना बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

27. विवाद

संस्था मे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

--:::--

23.06.20
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

5239/97
दिनांक ... द्वारा पटाया गया है। यह मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है।
जारी होने की दिनांक 23/6/20

अध्यक्ष — सचिव — कोषाध्यक्ष

किसान एवं कृषि विकास परिषद् म.प्र.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AY 916463

(प्रमाण पत्र ज्ञापन/ विधान ... की

प्रति के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर संख्या

का नाम किसान एवं कृषि विकास परिषद

पंजी. क्र. 5239/97 दिनांक 20/10/97 भोपाल

सहायक के हस्ताक्षर

23.06.2020

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AY 916464

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL भोपाल

प्रमाण पत्र ज्ञापन/ विधान की प्रमाणित
प्रति के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर संस्था
का नाम किसान एवं कृषि विकास परिषद भोपाल
पंजी. क्र. 5239/97 दिनांक 20/10/97

सहायक के हस्ताक्षर

18
23.06.2020
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AY 916465

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES • BHOPAL • भोपाल

प्रमाण पत्र ज्ञापन/ नियमों की प्रतिलिपि
प्रति के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर संस्था
का नाम किसान एवं कृषि विकास परिषद
पंजी. क्र. 5239/97 दिनांक 20/10/97 भोपाल

सहायक के हस्ताक्षर

23.06.2020

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AY 916466

2892/23
01/02/2024

प्रारूप सात (नियम–11 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रं. 44 सन् 1973) की धारा–27 के अधीन शासी निकास की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. संस्था का नाम व पूरा पता – किसान एवं कृषि विकास परिषद
मोबाईल नम्बर, मेल आईडी रायल होम्स नं. 02, परस्पर कालोनी, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल

मोबाईल नम्बर 7020958515 मेल आई डी aniketchoure@gmail.com

2. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक – 5239/1997 दिनांक 20/10/1997

3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख – 16/01/2024

4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल तारीख 16/01/2022 से 15/01/2025 तक

अनुक्रं.	नाम, पिता/पति का नाम	पूर्ण पता	मोबाईल नम्बर	धारित पद	मुख्य उपजीविका	हस्ताक्षर
1.	श्री अजय चौरे पिता श्री रेवानाथ जी चौरे	रायल होम्स नं. 02, परस्पर कालोनी, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल	8007753047	अध्यक्ष	समाज सेवी कृषक	
2.	श्रीमती रीता चौरे पत्नि श्री अजय चौरे	रायल होम्स नं. 02, परस्पर कालोनी, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल	8007366880	उपाध्यक्ष	गृहिणी	रीता चौरे
3.	श्री अनिकेत चौरे पिता श्री अजय चौरे	ग्राम–रिथोरा, तह.–सौंसर, जिला–छिंदवाड़ा	7020958515	सचिव	व्यवसाय	
4.	श्री साकेत चौरे पिता श्री अजय चौरे	ग्राम–रिथोरा, तह.–सौंसर, जिला–छिंदवाड़ा	9623963833	कोषाध्यक्ष	कृषक	
5.	श्री मानिकराव जी पिता श्री कड़ीराम नाड़ेकर	ग्राम–सिंहपुर, पोस्ट–कोपटावाड़ी, तह.–सौंसर, जिला–छिंदवाड़ा	9329849654	संयुक्त सचिव	कृषक	
6.	श्री पवन कामरे पिता श्री चिंतामन कामरे	वार्ड नं. 18, मोहगाँव हवेली, तह.–सौंसर, जिला–छिंदवाड़ा	7898079600	सदस्य	कृषक	Pawan
7.	श्रीमति यामिनी अनिकेत चौरे पत्नि श्री अनकेत चौर	ग्राम–रिथोरा, तह.–सौंसर, जिला–छिंदवाड़ा	9322556158	सदस्य	समाज सेवी	

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

निरंतर.........2

(संजय सील)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग,भोपाल

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज ASSTT.REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL भोपाल

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा–27 के अधीन रूपये 2040 /– की वार्षिक फीस, आर्नलाईन चालान दिनांक 31/01/24 के माध्यम से जमा कर दी गई है, उसकी प्रति संलग्न है चालान आईडेन्टिफिकेशन नंबर (सीआईएन) SBIN00061591475310120242884 71 है।

//घोषणा//

मैं अजय चौरे पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री रामेश्वर चौरे आयु लगभग 52 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि, उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से मेरी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्त्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का/की दायी रहूंगा/रहूँगी।

हस्ताक्षर

नाम अजय चौरे

पदनाम (अध्यक्ष/सचिव)

मोबाईल नम्बर 7020958515

मेल आई डी aniketchoure@gmail.com

अति. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज
ASSTT.REGISTRAR OF SOCIETIES
BHOPAL
भोपाल

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973
की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

(संजय सीता)
अति.रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग,भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH BW 675691

असि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज ASSTT.REGISTRAR OF SOCIETY BHOPAL भोपाल

संस्था किसान एवं कृषि विकास परिषद भोपाल पंजीयन क्रमांक 5239 दिनांक 20/10/92 के नाम से दिनांक 31/1/24 को प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के तहत दिनांक 31/1/24 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा 27 के तहत प्रस्तुत शासी निकाय की सूची की वैधानिकता के संबंध मै प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वंय उत्तरदायी है। कार्यालय द्वारा धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि मात्र जारी की गई है। धारा 29 के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता के संबंध में प्रमाण–पत्र आदेश नहीं है।

असि० रजिस्ट्रार,
फर्म्स एवं संस्थायें
भोपाल–नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

4067/100
31/1/24

किसान एवं कृषि विकास परिषद
रायल होम्स नं. 02, परस्पर कालोनी, चूनाभट्टी कोलार रोड भोपाल

शपथपत्र

रजि. फर्म्स एंड सोसायटी भोपाल

कार्यालय जिला कोषालय
14 DEC 2023
भोपाल

ID No. 7698 3011 9016 (A.C. No.)
पंकज अग्रवाल की आई.डी.

सुरेश कुमार मोहनानी
स्टाम्प वेन्डर
अतिरिक्त कार्या.के सामने, पुराना सचि.भोपाल